

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -830/2017/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नेशनल इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल,
भरतपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शीतांशु शर्मा, उप-राजकीय अभिभाषक

..... राजस्व की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से

दिनांक : 01/11/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 341/सीएसटी/15-16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.12.2016 के विरुद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 व सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 25, 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये वैट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत असत्यापित 'C' Forms की राशि पर आरोपित अन्तर कर राशि रूपये 31,596/-, ब्याज राशि रूपये 20,161/- एवं शास्ति राशि रूपये 63,192/- को प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी फर्म द्वारा वर्ष 2009-10 की अवधि में किये गये अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र 'सी' के सन्दर्भ में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा जांच करवाई गई। जांच पर पाया गया कि "C" फॉर्म संबंधित क्रेता व्यापारियों द्वारा जारी नहीं किये गये हैं अतः ये घोषणा पत्र बोगस एवं असत्यापित पाये जाने पाकर जांच अधिकारी द्वारा इन संव्यवहारों की बिक्री राशि पर अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया एवं साथ ही मिथ्या एवं कूटरचित "सी" फॉर्म प्रस्तुत करते हुए कर का अपवर्जन/अपवंचन करने पर वैट अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपण भी किया गया।
3. उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिनका अपीलीय आदेश में अपील कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उचित नहीं है, जिहाजा प्रतिप्रेषण संबंधी उक्त आदेश को अपास्त कर आरोपित मांग राशि पुनः बहाल करने का निवेदन किया गया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे अतः उसे समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए कर निर्धारण आदेश में आरोपित मांग राशि को बहाल करते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में किया हुआ है एवं किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय नद्दास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सरथा एन्टरप्राइजेज बनाम अपीलीय प्राधिकारी (2011)37 VST 94 (Mad) तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2016) 13 RGSTR 127 (RHC) उद्धरित किया है एवं साथ ही समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य, निर्णय दिनांक 25.06.2015 तथा अपील संख्या 1860/2016/भरतपुर सहायक आयुक्त बनाम गैसर्स श्री भगवती उद्योग, भरतपुर निर्णय दिनांक 11.05.2018 में आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति अपास्त की गई है। उन्होंने प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार 23 वीएसटी 249 के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति को पूर्णतः अपास्त करते हुए अपीलीय आदेश में दिये गये प्रतिप्रेषण संबंधी निर्देशों को निरस्त करने की प्रार्थना की।
6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अन्तरराज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत किये गये

'सी' फार्मर्स की सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों से जांच करवाये जाने पर ये असत्यापित पाये गये थे जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या व कूटरचित मानते हुए इन बिक्री व्यवहारों के संबंध में करवंचना मानते हुए सपठित आरवैट एक्ट की धारा 61

के तहत शास्ति भी आरोपित की है, एवं अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं।

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि व्यवसायी द्वारा उद्धरित निर्णय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सस्था एन्टरप्राइजेज बनाम अपीलीय प्राधिकारी (2011)37 VST 94 (Mad) तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2016) 13 RGSTR 127 (RHC) एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720/2011/भरतपुर मैसर्स टाटा श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अन्य नत्थीबद्ध अपीलों में दिये गये निर्णय दिनांक 25.06.2015 तथा अपील संख्या 1860/2016/भरतपुर सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स श्री भगवती उद्योग, भरतपुर निर्णय दिनांक 11.05.2018 में ऐसे मामलों में विस्तृत विधि अभिनिर्धारित करते हुए कर एवं ब्याज आरोपण को तो उचित माना गया है परन्तु शास्ति आरोपण को अनुचित मानते हुए इसे अपास्त किया गया है। कर निर्धारण आदेशों तथा अपीलीय आदेशों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय इन दोनों प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है या कि उक्त निर्णय उनके परिज्ञान में नहीं था। अतः उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित विधि के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त योग्य है एवं अपीलीय आदेश में शास्ति के संबंध में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने संबंधी निर्देश भी अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, परन्तु इसमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 में दी गई अनिवार्य शर्त कि "विक्रेता व्यवहारी को धारा 8(1) की कर दर का लाभ केवल घोषणा पत्र 'सी' के प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा", इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक या अवैद्य घोषित नहीं किया है। अतः धारा 8(4) एवं 8(1) के प्रावधानों की पालना में वैद्य घोषणा पत्र ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
8. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में व्यवसायी के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज पाये गये हैं। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडु राज्य (23 VST 249) तथा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक

25.06.2015 के आलोक में शास्ति का आरोपण विधिक नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है। साथ ही इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेश को भी अपास्त किया जाता है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य